

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश -

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पीपावास
व भू.अ.नि. कोटड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगर / नायब
तहसीलदार गिण्ड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पीपावास तहसील रेलमगर व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 88 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	पीपावास	88	बाबूलाल पुत्र मिश्रा हिस्सा - 1/12 जाति-गुर्जर सा. डेड खातेदार रहिन हिस्सा - 1/12 (पूर्व ज्वाल) SBI शाखा राजपुरा दरीबा	बाबूलाल पुत्र मिश्रा हिस्सा - 1/12 जाति-गुर्जर सा. डेड खातेदार रहिन हिस्सा - 1/12 (पूर्व ज्वाल) SBI शाखा राजपुरा दरीबा

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी रेलमगर सहायक कलक्टर

क्रमांक - 12025/143
पतिलिपि -

दिनांक - 3/10/21

1. तहसीलदार रेलमगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री पीपावास को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगर सहायक कलक्टर